

दिनांक : 07.09.2012

परिपत्र – C I R C U L A R

इस कार्यालय के परिपत्र दिनांक 28.08.2012 के अनुक्रम में निगम के सभी कर्मचारियों / भूतपूर्व कर्मचारियों एवं उनके आश्रित परिवार के सदस्यों के लिए निम्नलिखित अस्पतालों में उपलब्ध आई.पी.डी. चिकित्सा उपचार के लिए, इस परिपत्र के जारी होने की तिथि से, सीधे भुगतान हेतु स्कीम के अन्तर्गत, इम्पैनल कर दिया गया है :-

In continuation of Circular of even number dated 28.08.2012 regarding empanelment of Hospitals for obtaining Indoor Medical Treatment by the employees / ex-employees and their dependent family members, the following Hospitals have been empanelled with the Corporation under "Direct Payment" Scheme w.e.f. date of issue of this Circular :-

क्र. सं.	अस्पताल का नाम एवं पता Name & Address of the Hospital	किस बिमारी के लिए	रिमाक्स Remarks
1	2	3	4
1.	Shroff Eye Centre, A – 9, Kailash Colony, New Delhi – 110048.	आखँ " EYE "	As per their schedule of charges – restricted to Sir Ganga Ram Hospital rates, whichever is less.
2.	Shroff Eye Centre, 105, Surya Kiran, 19, K.G. Marg, New Delhi – 110001.		
3.	Shroff Eye Centre, 110 – Commercial Plaza, Radison Suites, Behind Ansal's Time Square Building, B-Block, Sushant Lok Phase-I, Sector-27, Gurgaon – 122002.		
4.	Dr. Kapur's The Healing Touch Eye Centre, D – 8, Vikas Puri, New Delhi-110018.	आखँ " EYE "	सी.जी.एच.एस. की दरों के अनुसार As per C.G.H.S. Rates.
5.	Narang Eye Institute, B – 8, Derewal Nagar, Near Double Petrol Pump & Model Town Metro Station, Delhi – 110009.	आखँ " EYE "	सी.जी.एच.एस. की दरों के अनुसार As per C.G.H.S. Rates.
6.	Jeewan Hospital & Nursing Home Pvt. Ltd., Gate No. 1, 150, Jeewan Nagar, Opp. Maharani Bagh, New Delhi – 110014.	"GENERAL"	सी.जी.एच.एस. की दरों के अनुसार As per C.G.H.S. Rates.
7.	Rockland Hospital, Plot HAF – B, Sector-12, Phase-I, Dwarka, New Delhi – 110073.	"GENERAL"	As per their schedule of charges – restricted to Sir Ganga Ram Hospital rates, whichever is less.
8.	Fortis Hospitals Limited, # 730, Anandapur, EM Bypass Road, Kolkata – 700107.	"GENERAL"	As per their schedule of charges with discount of: 10% in room rent, 10% in basic hospital charges for surgical packages, 10% for all O.P.D. services comprising consultations, pathological & radiological investigations, 10% in Fortis Master Health Chec-ups and no service charges leviable.

3/10/12

2. सभी कर्मचारी / भूतपूर्व कर्मचारी एवं उनके आश्रित परिवार के सदस्य, पिछले पृष्ठ पर दर्शाए अस्पतालों में, भर्ती होकर इनडोर उपचार करा सकते हैं जिस के बिलों का भुगतान निगम के कारपोरेट कार्यालय या आंचलिक कार्यालय द्वारा सी.जी.एच.एस. की दरों के अनुसार या अस्पताल के सामने दर्शाए गई दरों के अनुसार (डिस्काउंट के बाद) या कर्मचारी की पात्रता के अनुसार, जो भी कम होगी, सीधे अस्पताल को किया जायेगा ! इस कार्यालय के परिपत्र दिनांक 10.02.1997 की अन्य शर्तों में कोई बदलाव नहीं है !

The employees / ex-employees and their dependent family members may avail indoor medical treatment available in the said Hospitals, as shown on pre-page. The payment will be made direct to the Hospital by the Corporate Office / respective Zonal Office for indoor medical treatment only, as per C.G.H.S. rates or as per rates indicated against each (with discount) or entitlement of the employee, whichever is less. The other terms & conditions as laid down in the Circular dated 10.02.1997 on the subject remain unchanged.

3. यह सक्षम प्राधिकारी के अनुमोदन से जारी किया जाता है !

अरुण कुमार गाबा
07/09/12
(अरुण कुमार गाबा)
वरिष्ठ अधिकारी (मां.सं.)

संख्या : 4 / 04 / 96 - मा.सं. - II / 1496

प्रतिलिपि :-

1. अध्यक्ष एवं प्रबंध निदेशक / निदेशक (वित्त) / निदेशक (तकनीकी) / मुख्य सतर्कता अधिकारी के सहायक प्रबंधक / वरिष्ठ अधिकारी, आर. ई. सी., नई दिल्ली !
4. सभी कार्यकारी निदेशक, आर. ई. सी., नई दिल्ली !
3. सभी महाप्रबंधक / कंपनी सचिव, आर. ई. सी., नई दिल्ली !
4. सभी आंचलिक प्रबंधक / मुख्य परियोजना प्रबंधक, आर. ई. सी., आंचलिक / परियोजना कार्यालय / अपर निदेशक, सायर, हैदराबाद !
5. सभी अपर महाप्रबंधक / उप महाप्रबंधक / मुख्य प्रबंधक / प्रबंधक, आर. ई. सी., नई दिल्ली !
6. मुख्य प्रबंधक (वित्त) - विविध बिल्स, आर. ई. सी., नई दिल्ली !
7. अवैतनिक सचिव, आर. ई. सी. आफिसर्स एसोशिएशन, नई दिल्ली !
8. अवैतनिक सचिव, आर. ई. सी. कर्मचारी यूनियन, नई दिल्ली !
9. जनरल सैक्रेट्री (ओरग.), आर. ई. सी. के भूतपूर्व कर्मचारियों की वेलफेयर एसोसिएशन, W - 99, चन्द्र शेखर आजाद गली, बाबरपुर, शाहदरा, दिल्ली - 110032.
10. सभी सूचना पट्ट, आर. ई. सी., स्कोप / पालिका भवन / नेहरू प्लेस, नई दिल्ली !
11. मास्टर फाइल फोलडर / कार्यालय प्रति !